



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50001-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3520 वर्ष 2026

रघुपाल

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : ऋषिकेश कुमार मौर्या

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव, जी०ए०

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए०, प्रत्यर्था संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. एकदम आरंभ में ही, याची के विद्वान अधिवक्ता ने बार में एक कथन किया है कि याची को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इसलिए, वह इस रिट याचिका पर आगे बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
3. राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए० के साथ-साथ प्रत्यर्था संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को पूर्वोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

मार्च 11, 2026

वी०के०जी०

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।